"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013—भाद्र 11, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक 10870/292/दो-गृह/बजट/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों के आत्म समर्पण एवं पुनर्वास योजना के संबंध में केन्द्र सरकार के संशोधित दिशा-निर्देश, दिनांक 04 अप्रैल, 2013 के कण्डिका 6.2 के अन्तर्गत निम्नांकित अधिकारियों के समक्ष नक्सलियों के आत्म समर्पण किये जाने हेतु नामांकित करता है :—

क्रमांक	पदनाम
1.	समस्त जिला दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़
2.	समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़
3.	राज्य में स्थित थाना प्रभारी एवं उससे वरिष्ठ स्तर के सभी पुलिस अधिकारी
4.	राज्य में स्थित कंपनी कमाण्डर एवं उससे वरिष्ठ स्तर के सभी सी.ए.एफ. के अधिकारी
5.	राज्य में स्थित कंपनी कमाण्डर एवं उससे वरिष्ठ स्तर के सभी सी.ए.पी.एफ. के अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.